

Order Sheet

Case No BA 23/17 सु. फ.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
16.1.17	<p>आवेदक/आरोपी <u>अशोक पण्डा</u> की ओर से श्री <u>राजीव शुक्ला</u> अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा0फो0 का पेश किया।</p> <p>नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे।</p> <p>आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे। प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक <u>18/1/17</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">पी. सी. आय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला-भिण्ड (म प्र)</p>	
<u>18-1-17</u> <u>3:45</u> <u>To</u> <u>4:00 PM</u>	<p>अपीलार्थी/आरोपी अशोक पण्डा द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता। अनावेदक शासन द्वारा श्री बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>अनावेदक द्वारा जमानत आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया है।</p> <p>अपीलार्थी/आरोपी अशोक पण्डा के आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>आरोपी/आवेदक का कहना है कि उसके शारीरिक रूप से अत्यधिक बीमार हो जाने के कारण वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका और अपने अधिवक्ता को सूचना भी नहीं दे सका था। इस कारण उनके जमानत मुचलके निरस्त हुए हैं, वह जमानत की शर्तों का पालन करेंगे,</p>	

नियमित प्रतिभूति पर छोड़े जाने का निवेदन किया है ।
समर्थन में रमेश का शपथपत्र पेश किया गया है ।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है उनके द्वारा जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, अतः उनका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक-24/02/2016 को अपीलार्थी/आरोपी अशोक पण्डा के अनुपस्थित हो जाने से उनके जमानत मुचलके निरस्त किए जाकर गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किए जाने का आदेश दिया गया है ।

आरोपी/अपीलार्थी को जारी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन के दिनांक-07/01/2017 को थाना गोहद द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया है ।

अपीलार्थी/आरोपी अशोक पण्डा ने अपनी तबीयत खराब होने का आधार लिया है, एवं उसके समर्थन में कोई भी चिकित्सीय प्रमाणपत्र पेश नहीं है, जिससे उसका बीमार होने का लिया गया आधार मात्र औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है । अपीलार्थी/आरोपी अशोक पण्डा को पूर्व में भी दस हजार रुपये की जमानत का लाभ दिया जा चुका है । प्रकरण अंतिम तर्क की स्टेज पर है, अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वाद विचार अपीलार्थी/आरोपी अशोक पण्डा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र बाद विचार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । किन्तु आरोपी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण की कार्यवाही बिलंबित हुई है, इसलिये पूर्व जमानत मुचलके की राशि में से कुछ राशि जब्त की जाना उचित होगी ।

अतः जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-439 जा.फौ. गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी/आरोपी अशोक पण्डा के पूर्व प्रस्तुत मुचलके में से **एक हजार रुपये** राजसात की जाती हैं, शेष राशि माफ की जाती है एवं आवेदक/आरोपी देशराज की ओर से 20 हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं 20 हजार का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे ।

पी. 18/1/17
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

पी. सी. आर्य

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

13/12/2015

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>आदेश की प्रति मूल अपीलीय प्रकरण में संलग्न की जावे। इस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p>(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	

(P.T.O.)